राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
जिला–बाड़मेर

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. देवेन्द्र कुमार पुत्र चैनाराम 2. महेन्द्र कुमार पुत्र चैनाराम जाति मेगवंशी निवासी भलगांव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. चैनाराम पुत्र काजाराम 2. नेणुमल पुत्र चैनाराम 3. इंद्रा पुत्री चैनाराम 4. गिगा पुत्री चैनाराम 5. तारी पुत्री चैनाराम 6. गीता पुत्री चैनाराम जातियान मेघवंशी निवासी भलगांव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 7. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा सेड़वा। 8. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 255 **/2025**

21/08/25 प्रार्थीगण देवेन्द्र कुमार पुत्र चैनाराम जाति मेगवंशी निवासी भलगांव तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से अधिवक्ता **श्री श्रीराम विश्नोई** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा भलगांव पटवार क्षेत्र भलगांव भू.अ.नि. बाखासर के नया खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 146 रकबा 47–08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **खावेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः **इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा भलगांव पटवार क्षेत्र भलगांव भू.अ.नि. बाखासर के नया खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 146 रकबा 47–08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीगण इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब आगामी पेशी तारीख 30/10/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

13/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण स्वयं उप.। चूंकि मूलवाद को जरिये राजीनामा निर्णीत कर दिया है तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। मूलवाद के साथ संलग्न हो।

देवेन्द्र कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:00:54 IST
Reason: SelfAttested